

3

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य-865/2014-

/राँची, दिनांक

प्रेषक,

ई० मुक्तिसाधन चौरसिया,
सरकार के उप सचिव (अभि०)।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो०-हिन्नु, राँची।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :- मयुराक्षी जलाशय के बास्कीचक स्थित शहरी जलापूर्ति Intake Well के पास जलाशय गहरा करने हेतु खुदाई कार्य हेतु कुल रु० 255.65 लाख (रुपये दो करोड़ पचपन लाख पैसठ हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर प्रक्षेत्राधीन मयुराक्षी जलाशय के बास्कीचक स्थित शहरी जलापूर्ति Intake Well के पास जलाशय गहरा करने हेतु खुदाई कार्य हेतु कुल रु० 255.65 लाख (रुपये दो करोड़ पचपन लाख पैसठ हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. इस कार्य के अन्तर्गत निम्नांकित कार्य कराया जायेगा :-
 - i) इन्टेक के जलाशय भाग की ओर 45 मी० लम्बाई में तथा इसके विपरीत दिशा में 60 मी० लम्बाई में जलाशय में इन्टेक के दोनों ओर 60-60 मी० चौड़ाई में खुदाई का कार्य।
 - ii) जलाशय भाग में इन्टेक तक RL 107 मी० तक खुदाई तथा इन्टेक से पीछे की ओर 107 मी० से 113.30 मी० तक स्लोप में खुदाई का कार्य।
 - iii) खुदाई के मिट्टी के वर्गीकरण 35% Hard Soil, 30% Soft Rock, 30% Hard Rock तथा 5% Hard Rock with Chiselling रखा गया है, Hard Rock एवं Soft Rock के खुदाई हेतु Rock Breaker का प्रावधान किया गया है, क्योंकि इन्टेक वेल एवं पाइपलाईन के निकट Blasting करने की स्थिति नहीं हो।
4. यह कार्य वर्ष 2017-18 में प्रारम्भ कर वर्ष 2018-19 में पूरा कराने का लक्ष्य है।
5. इस योजना पर होने वाला व्यय -

मुख्य शीर्ष '4701' - मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष - 80 सामान्य, लघु शीर्ष -800-अन्य व्यय, उपशीर्ष-46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन, विस्तृत शीर्ष-05 निर्माण, 45-निर्माण कार्य, के अन्तर्गत प्रावधानित राशि के अधीन विकलनीय होगा।

6. इस कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, दुमका तथा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
7. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।
8. इस कार्य के पूर्व एवं कार्य कराने के बाद कार्य स्थल का स्टील फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी करा ली जायेगी।
9. उक्त कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।
10. इस कार्य के लिए राशि की निकासी दुमका कोषागार कोषागार से की जायेगी।
11. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।
12. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
13. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है।
14. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
15. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०-हिनू, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से
ह०/-

(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

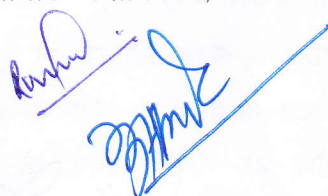
ज्ञापांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य-865/2014- /राँची, दिनांक

प्रतिलिपि :- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना -सह- वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

ज्ञापांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य-865/2014- /राँची, दिनांक

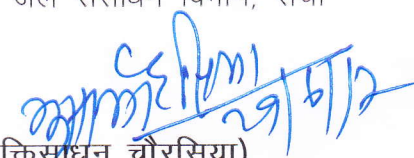
प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



ह०/-
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

ज्ञापांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य-865/2014- 23/12/18 ज. ख. /राँची, दिनांक 29.06.2017

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, दुमका/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, दुमका/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०-3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृति/त्यादेश निर्गत करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के.उप सचिव (अभि०)
29/06/17